न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—125/2013/223 (2013/00104)

1. श्रीमती दरियाव कंवर विधवा कर्नल किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी रिछमालिया, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. हिम्मतसिंह पुत्र कर्नल किशनसिंह, जाति राजपूत, नि0 रिछमालिया, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
3. तख्तसिंह पुत्र कर्नल किशनसिंह, जाति राजपूत, नि0 रिछमालिया, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 16.11.2012 अंतर्गत वाद संख्या 83/2004 .

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश पारीक, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः—16.08.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2012 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0 अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम रिछमालिया के साबिक खसरा नंबर 875 हाल खसरा नंबर 1190 रकबा 25 बीघा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादिया संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 लगायत 3 के पिता कर्नल श्रीकिशन को दिनांक 15.9.1971 को आवंटन की गई थी एवं दिनांक 19.5.1972 को पट्टा जारी किया गया जिसके आधार पर तत्कालीन पटवारी हल्का, मेवाडिया द्वारा आवंटन आदेशानुसार मौके पर आवंटी को कब्जा सौंप दिया गया तब से

Scanned by CamScanner

कर्नल श्री किशन आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन भू–प्रबंध विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी बंदोबस्त के बाद 1984 में वर्किंग जमाबंदी के नाम से जारी की गई उसमें उक्त आवंटन का इंद्राज बंदोबस्त विभाग द्वारा नहीं किया गया जबकि बंदोबस्त विभाग द्वारा मुर्तिब खसरा परिवर्तनशील संवत् 2032 में कृषक के कॉलम में स्व0 कर्नल किशनसिंह का नाम अंकित है । तत्पश्चात् संवत् 2033 के खसरा परिवर्तनशील के कॉलम संख्या 5 में कर्नल श्री किशन खसरा नंबर नई 1190 पुरानी 860, 875 रकबा 25 बीघा आराजी 3 रकम लगान 5.25 पैसा एवं कॉलम नंबर 15 तथा 16 में आवंटन तथा ढाल बांछ की संख्या कॉलम संख्या 21 में 291 दर्ज है तथा खसरा परिवर्तनशील संवत् 2034 लगायत 2037 एवं 2046 में भी वादीगण के पूर्वज स्व0 श्री किशन का कब्जा काश्त अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2055 में स्व0 श्री किशनसिंह एवं उनकी मृत्यु के उपरांत श्रीमती दरिवाव कंवर की लगातार काश्त अंकित है किन्तु संवत् 2055 के बाद अकाल होने के कारण खसरा गिरदावरी संवत् 2056 लगायत 2059 में पड़त अंकित है । इसी कारण बंदोबस्त विभाग द्वारा जारी वर्किंग जमाबंदी जो कि प्रमाणितशुदा नहीं है में बिना नाम, नंबर हाल खसरा नंबर 1190 रकबा 25 बीघा भू–संशोधन में गैर खातेदारी में दर्ज होना अंकित किया है लेकिन वर्किंग जमाबंदी में स्व0 श्री किशनसिंह का अथवा उनके वारिसान का नाम अंकित नहीं किया गया । उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज की आड़ में प्रतिवादी उन्हें बेदखल करने पर आमादा हो रहे है तथा कब्जे काश्त में दखलदांजी उत्पन्न कर रहे है । अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद दर्ज कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2012 द्वारा वादीगण/अपीलांटास का वाद आस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि हाल खसरा नंबर 1190 रकबा 25 बीघा भूमि स्व0 कर्नल श्री किशनसिंह को दिनांक 15.9.1971 को आवंटित हुई थी तथा आवंटन का पट्टा दिनांक 15.9.1972 को जारी किया जाकर अपीलांटस के पति एवं पिता को कब्जा काश्त संभलाया गया था तब से आवंटी कर्नल एवं उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांटस काबिज काश्त है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि भू–प्रबंध विभाग ने विवादित आराजी को वर्किंग जमाबंदी जो कि प्रमाणित नहीं है में गैर खातेदारी से अंकित किया है लेकिन आवंटी कर्नल स्व0 श्री किशनसिंह अथवा उनके वारिसान का नाम अंकित नहीं किया है जबकि विवादित आराजी अपीलांटस की खातेदारी की है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धां है कि आवंटन के 10 वर्ष उपरांत स्वतः ही आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है चाहे राजस्व कर्मचारियों द्वारा इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया हो अथवा नहीं । वादीगण/अपीलांटस ने दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । खसरा गिरदावरी संवत् 2030 लगायत 2055 मे वादीगण की काश्त अंकित है केवल मात्र संवत् 2055 के बाद अकाल की स्थिति के कारण संवत् 2055 से 2059 तक

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी पड़त रही है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया था कि आवंटी कर्नल स्व0 श्री किशनसिंह द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटन आदेश निरस्त हुआ हो । भू–प्रबंध विभाग को पूर्व इदांज को दोहराना चाहिये था किन्तु भू–प्रबधं विभाग ने पूर्व इंद्राज के विपरीत इंद्राज परिवर्तन किया है जिसका उन्हें अधिकार नही था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2012 अपास्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाने के आदेश प्रदान करावे ।

4. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने से विवादित भूमि सिवायचक दर्ज की गई है । वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत परिवर्तनशील संवत् 2032 से 2037 में वादीगण की काश्त का अंकन नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत विधिसम्मत् रूप से वादीगण/अपीलांटस का वाद अपास्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 1190 रकबा 25 बीघा का अपीलांट संख्या 1 के पति एवं अपीलांट संख्या 2 से 3 के पिता कर्नल किशनसिंह को दिनांक 15.9.1971 को आवंटन हुआ था तथा उक्त आवंटन का पट्टा दिनांक 19.5.1972 को जारी किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को विवादित आवंटित भूमि का कब्जा काश्त संभलाया गया था । इस संबधं में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट के पति एवं पिता को विवादित भूमि खसरा नंबर 1190 रकबा 25 बीघा का आवंटन दिनांक 15.9.1971 को हुआ था । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का वाद इस आधार पर निरस्त किया है कि विवादित भूमि का आवंटन आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश संख्या 123 दिनांक 11.11.2002 द्वारा कर्नल किशनसिंह का आवंटन निरस्त किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटी कर्नल किशनसिंह को दिनांक 15.9.1971 को आवंटन के पश्चात् गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये तत्पश्चात् 10 वर्ष उपरांत गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आवंटी को प्राप्त हो जाते है, यदि राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा इसका अंकन नहीं किया जावे तो भी 10 वर्ष उपरांत गैर खातेदारी से खातेदारी होने की अवधारणा मानी जावेगी जबकि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का आवंटन आदेश निरस्त करने का आदेश दिनांक 11.11.2002 को जो निश्चित रूप से आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत का है । इसलिये यह बिन्दू विचारणीय था कि क्या आवंटी को खातेदार अधिकार प्राप्त होने के उपरांत आवंटन निरस्त किया जा सकता है । इस संबंध में अधी0न्याया0 को तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलांटस/वादीगण का वाद अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है ।

6. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय

Scanned by CamScanner

व डिक्री दिनांक 16.11.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के कम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे ।

16/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 16.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

16/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned by CamScanner